भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 07B/2018–19

बाउरी बंधु महतो **बनाम** कृष्णा चन्द्र महतो

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर
.11.18	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 1926 दिनांक 18.09.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 07B/2018–19 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता बाउरी बंधु महतो पिता स्व0 सुरेन्द्र नाथ महतो उर्फ सुरेन महतो, ग्राम–नुवागाँव, पो0–ताबलापुर, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावां ने चिकित्सा एवं ऋण परिशोधन हेतु क्रेता कृष्णा चन्द्र महतो, पिता स्व0 राम बिहारी महतो, ग्राम–छोटा गम्हरिया, थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
झापड़ागोड़ा	243	33/A	1168/A	0.22ए0
			1195/A	0.23ए0
			1302/A	1.23ए0
			कुल–	**1.68ए0**

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के माता के नाम से जमाबंदी दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है। जिसमें से 1.68 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 9.00 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 1.68एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता